पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्याय हित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश फरमाये जावे। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि न्याय हित में वाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 R4 CPC का स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 R4 CPC का स्वीकार किया जाता है। मूल प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूलवाद के साथ नत्थी हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
RAS

Scanned by CamScanner